मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 4–5/2017/50–2/1210 भोपाल, दिनांक 20.03.2017

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः–राज्य के आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को रेडी टू ईट नाश्ता प्रदाय के संबंध में निर्देश ।

संदर्भः– 1. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र./एफ 4–5/14/ 50–2, दिनांक 24.2.2014 ।
2. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र./26/2126/14/50–2,दिनांक 03.01.2015 ।
3. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र.1854/2132/16/ 50–2,दिनांक 05.08.2016 ।
4. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र.2504/2773/16/ 50–2,दिनांक 06.10.2016 ।
5. मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र./4640/16/50–2,दिनांक 02.11.2016 ।

.....

राज्यशासन के आदेश क्र.एफ4–5/2016 /50–2,दिनांक 09.12.2016 के तहत् प्रदेश के समस्त ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को दिनांक 15 दिसम्बर 2016 से स्व सहायता समूह के माध्यम से सुबह का ताजा पका नाश्ते के स्थान पर रेडी–टू–ईट नाश्ते के रूप में पौष्टिक सूजी बेसन लड्डू/रागी लड्डू/ नमकीन मठरी अलग–अलग दिवस में दिए जाने का प्रावधान किया गया था तथा जिला कलेक्टर को स्थानीय परिस्थिति एवं हितग्राहियों की रूचिनुसार रेडी टू ईट नाश्ते में आंशिक परिवर्तन किये जाने के अधिकार प्रदत्त किए गए है।

2. राज्यशासन द्वारा रेडी टू ईट नाश्ते की व्यवस्था पूर्व में जिलों में ताजा पके नाश्ता में निर्धारित गुणवत्तायुक्त एवं समय पर वितरण नही किए जाने की तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन न होने की शिकायतों के कारण की गई थी ।

3. दिनॉक 16.3.17 को परख कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों के कलेक्टर द्वारा रेडी–टू–ईट नाश्ते के रूप में पौष्टिक सूजी बेसन लड्डू/रागी लड्डू/ नमकीन मठरी दिए जाने में कठिनाई बताई गई है ।

4. आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं जिले की आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरण किए जा रहे रेडी टू ईट नाश्ते की तत्काल पुनः समीक्षा करें । वर्तमान में निर्धारित मापदण्ड एवं दरों के अनुसार रेडी टू ईट नाश्ता वितरण में कठिनाई आ रही है तो जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर रेडी टू ईट नाश्ते में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है ।

5. यदि जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थितिनुसार रेडी टू ईट नाश्ते के स्थान पर पूर्ववत् ताजा पका नाश्ता वितरण करना उपयुक्त समझते है तो कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा से ताजा पका नाश्ता प्रदाय किया जा सकता है ।

बच्चों को दिए जाने वाले नाश्ते एवं भोजन की मात्रा में न्यूनतम 12 से 15 ग्राम प्रोटीन एवं 500 कैलोरी प्रति हितग्राही प्रतिदिवस अनिवार्यतः होना चाहिए,यह सुनिश्चित किया जावें । यह हर सम्भव प्रयास किया जावे कि प्रतिदिन बच्चों को गुणवत्तायुक्त नाश्ता प्राप्त होवें।

20/3/17

(जे.एन.कांसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल,दिनांक 20.03.2017

क्रमांक एफ 4–5/17/50–2/1211
प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागायुक्त,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. आयुक्त,एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व–मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,मध्यप्रदेश. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

20/3/17

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग.